प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

1—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 195 दिनांक 25-11-2020

विषय— **माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित वर्ष 2021 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रकिया द्वारा कराये जाने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

परिषद द्वारा संचालित **वर्ष 2021** की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के केन्द्र निर्धारण हेतु उ0प्र0 शासन के **शासनादेश संख्या 1927/पन्द्रह—07—2020—1(31)/2019 दिनांक 25 नवम्बर, 2020** द्वारा नीति का निर्धारण कर दिया गया है। परीक्षा केन्द्रों की अर्हता/अनर्हता के मानकों, केन्द्र निर्धारण की कार्य विधि प्रकियाओं एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं निर्देशों सहित समय सारिणी का उल्लेख शासन द्वारा प्रख्यापित नीति में विस्तार पूर्वक किया गया है। इनका दृढ़तापूर्वक एवं अक्षरशः पालन प्रत्येक दशा में अनिवार्य तथा नीति का विचलन दण्डनीय होगा। यह अपेक्षित है कि नीति में निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ताकि उत्तरवर्ती विविध व्यवस्थाओं में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न न हो एवं तत्सम्बन्धी विविध व्यवस्थाओं को समय से अन्तिम रूप दिया जा सके।

शासन द्वारा प्रख्यापित केन्द्र निर्धारण नीति के अनुपालन हेतु समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश से अनुरोध है कि शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थाओं के कम में परीक्षा केन्द्रों की अर्हता/अनर्हता के मानकों, केन्द्र निर्धारण की कार्य विधि प्रकियाओं एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं निर्देशों सहित समय सारिणी के अनुसार शासनादेश में निर्धारित कार्यो को समय सारिणी के अनुसार पूर्ण कराने का कष्ट करें।

परिषद द्वारा संचालित **वर्ष 2021** की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिये शासन द्वारा प्रख्यापित केन्द्र निर्धारण नीति **शासनादेश संख्या—1927/पन्द्रह—07—2020—1(31)/2019 दिनांक 25 नवम्बर, 2020** की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ ई—मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है, कि केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित नीति/प्रकिया/समय सारिणी के अनुसार यथापेक्षित आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या—मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 195-S दिनांक 25-11-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2—क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/इलाहाबाद/ वाराणसी/गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश के अनुपालन में अपने परिक्षेत्र के जनपदों में परीक्षा केन्द्र निर्धारण से सम्बन्धित कार्यो का सतत अनुश्रवण करते हुए स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

3—समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश के अनुपालन में अपने परिक्षेत्र के जनपदों में परीक्षा केन्द्र निर्धारण से सम्बन्धित कार्यो का सतत अनुश्रवण करते हुए समयबद्ध कार्यो को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

4—समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) उत्तर प्रदेश।

5—समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव।